कार्यालय कलेक्टर जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) एवम् पदेन् उप सचिव, छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रंबध विभाग

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट का विनिश्चय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013)

क्रमांक 16276 /भू–अर्जन/2017 जांजगीर, दिनांक 13 /10/2017

भू–अर्जन प्रकरण क्र. 01/अ–82/2016–17 ग्राम कपिस्दा प.ह.न. 23 तहसील चांपा प्रयोजन–बावनबुडी–कपिस्दा मार्ग पर सोननदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि 1.51 एकड़ (0.610 हैक्टे.) के अधिग्रहण के संबंध में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल के अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचांयत–बम्हनीडीह द्वारा पत्र क्र. 1429/स्था./जप./2017/बम्हनीडीह, दिनांक 08.08.2017 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रस्तुत किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी चांपा द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–08 के अंतर्गत भूमि अर्जन संबंधी प्रस्तावों और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट की परीक्षा हेतु उपधारा–(1) के तहत् जानकारी निम्नानुसार है:–

अधिनियम के प्रावधान	जानकारी
(क) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।	(क) बावनबुडी–कपिस्दा मार्ग पर सोननदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि 1.51 एकड़ (0.610 हैक्टे.) का अर्जन आवश्यक है।
(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट संभाव्य फायदों और लोक प्रयोजन का सामाजिक खर्चो और उस प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में अधिक प्रभाव होगा, जो सामाजिक समाघात निर्धारण, जो किया गया है, द्वारा अवधारित किया जाए।	(ख) सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण से आस–पास के ग्रामों के मूलभूत सुविधाओं की विकास होगी स्थानीय व्यक्तियों की सामाजिक विकास होगी तथा एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक एवं जिला मुख्यालय आने जाने के लिये उपयोगी एवं समय की बचत होगी। भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।
(ग) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है	(ग) प्रस्तावित भूमि अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन का प्रस्ताव है।
(घ) ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है,जिसका उस क्षेत्र में पूर्व में अर्जन किया गया है।	(घ) कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है,जिसका उस क्षेत्र में पूर्व में अर्जन किया गया है।
(ड़) पूर्व में अर्जित और अनुपयोजित पड़ी रही भूमि, यदि कोई हो, का उपयोग ऐसे लोक प्रयोजन के लिए किया जाए और वह उसकी बाबत् सिफारिशें करेगा।	(ड़) पूर्व में अर्जित और अनुपयोजित पड़ी रही भूमि नहीं है।

अतएव उपरोक्तानुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन्:– 2013) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (सामाजिक समाद्यात निर्धारण, सहमति तथा जनसुनवाई) नियम–2016 की कंडिका –26 के निम्नांकित संस्तुतियों (बिन्दु) पर विचार की गई तथा सुनिश्चित की गई :–

(क) न्यूनतम विस्थापनः– भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

(ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधाः– प्रस्तावित भूमि अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन का प्रस्ताव है। परिस्थिति में न्यूनतम छेड़छाड है।

(ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभावः– पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सेतु निर्माण हो जाने से निर्बाध आवगमन हो सकेगा। प्रभावित व्यष्टियों पर न्यूनतम समाद्यात सुनिश्चित होता है।

(डॉ.एस.भारती दासन)
कलेक्टर
जिला–जांजगीर–चांपा
एवम् पदेन् उप सचिव, छ0ग0 शासन
राजस्व एवं आपदा प्रंबध विभाग